(16)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803248

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक .... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.03.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72 AQ 5560 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

7-7-2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रू.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803245

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0....500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0...10000/-... की धरोहर राशि...10000/-........ को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोड़ने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY

7-7-2017

वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट की तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U. P. GOVERNMENT

स्थान 7.7.2017

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

सतीश चन्द्र तिवारी

7309581008

(17)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 740149

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता सरिता देवी w/o विजय कुमार द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा– सांगीपुर

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन U.P 65 D-4. 5501 को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVT.

10.7.2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 740148

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0......500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0....18000/-..... की धरोहर राशि.....18000/-............ को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY U. P. GOVT.

18.7.2017

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

स्थान 10.7.2017

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

सविता देवी

0577011000

UP65 DT5501
ग्रा० - अमरौना पो० पड़वासी
जिला - प्रतापगढ़

(18)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 424314

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता अवनीश शर्मा S/o श्यामकुमार शर्मा .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ......10.7.17...... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.7.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] CHC .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन......UP 33 AT 6410 ([illegible])...... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ......1077/-...... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जायें।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

[signature] 8.7.2017

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0......500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....18000/-.... की धरोहर राशि.....18000/-........ को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

8.7.2017

(19)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803240

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार
वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष
वाहन सेवा प्रदाता भगवती प्रसाद [illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित
किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास
खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रांमीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न
शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP 72 T 9948 ([illegible]) को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803232

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। भियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0.......500/-......... प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.......18000/-... की धरोहर राशि.....18000/-........... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY

8-7-2015

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने / जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0 / एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय / मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY Kirpa Nath Singh H.Q.-Pratapgarh U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

...पये Rs. 100

...00 ONE HUNDRED RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 378256

कोषा0-प्रतापगढ़

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वा0 मिशन विशाल काम्पलेक्स 19-ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ के पत्र सं0-एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./ लेखा/2014-15/103(4)/11114-75-10 दिनांक 03.03.2016 के सम्पादित निविदा के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ़ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता पवन कुमार S/o शिव कुमार नि0 .... प्रतापगढ़ .... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा आज दिनांक 27.6.16..... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.17..... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ़ के विकास खण्ड .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करेगा:-

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन U.P. 72 T 9995 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ....1120/-.... किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।

2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।

क- वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।

ख- वाहन में प्रथम उपचारकिट हो।

ग- वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।

घ- वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ड.- दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

....................2

NOTARY Kiran Bala Singh HO Pratapgarh R.N. 29.08.99 U.P. GOVERNMENT

27.6.16

3- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टी कराने पर सही नहीं पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।

4- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

5- वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300/-...प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0- .....15000/-... की धरोहर राशि ..F.D./HSC... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें, ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9- एजेन्सी को आवांटित इकाई पर प्रात: 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभर्थियों को घर छोड़ने के लिए प्रतिमाह शपथ-पत्र के बिन्दु-एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala ... Pratapgarh R.N.-23... U.P. GOVERNMENT

27.6.16

........3

10– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था, द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12– विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

13– द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

14– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

स्थान

दिनांक– 27.6.16

NOTARY GOVERNMENT Kiran Bala Singh HO-Pratapgarh R.N.-23/08/99

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

सेवामें,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
विशाल काम्पलेक्स,19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांकः एन.एच.एम./सह. पर्य/ 2017–18/ 2400 दिनांकः 13.12.2017

विषयः– सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में टेण्डर के माध्यम से अनुबंधित टैक्सी वाहनों के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में टेण्डर के माध्यम से अनुबंधित टैक्सी वाहनों के सम्बन्ध में सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर निम्नवत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मिशन निदेशक एन.एच.एम. के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनांक 17.03.2017के अनुपालन में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के नियमित संचालित करने को दृष्टिगत रखते हुये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुबंधित टैक्सी वाहनों का संचालन वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम निविदा सम्पादित होने की तिथि तक पूर्व में सम्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चलाने का निर्देश सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं को दिया गया था जिसके कम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह अप्रैल 17 से 09 जुलाई 2017 तक रू. 1120.00 प्रति वाहन प्रतिदिन की दर से वाहन सेवा संचालित की गयी है।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से अनुबंधित टैक्सी वाहनों का संचालन वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू. 1077.00 प्रति टैक्सी वाहन प्रतिदिन की दर से दिनांक 10.07.2017 से कराया जा रहा है जिसका अनुबंध दिनांक 31.03.2018 तक के लिए किया गया है। **अनुबंध की छाया प्रति संलग्न है।**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार–

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

डॉ0 आर0 ...
मुख्य चिकित्साधिकारी
प्रतापगढ़

पृ.सः उक्त तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महा प्रबन्धक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ.प्र. लखनऊ।
2. मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक,एन.एच.एम.,प्रतापगढ़।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

डॉ0 आर0 ...
मुख्य चिकित्साधिकारी
प्रतापगढ़

अनुज श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक

Current Status of Vehicle under Supportive Supervision for 2017-18

S.No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Contract Period From	Contract Period To	Tender Rate Aproved	Name of Agency /Vehicle's owner	Mobile No.	Name of MO/IC	Mobile No.
1	Pratapgarh	17	Kunda	TUV	UP-72-AT-1339	UP/70/102/AITP/2017/1068	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Ram Raj Shukla	7792769900	Dr.R.K.Tiwari	9451633289
2			Laxmanpur	Bolero	UP-72-AK-9415	UP/70/102/MCAB/2016/1424	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Rajendra Yadawa	9838529462	Dr.Rajnish	9451114873
3			Asapur Deosara (Amargarh)	Bolero	UP-72-AH-2077	UP/70/102/MCAB/2016/1444	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Neeraj Yadawa	9565086332	Dr.R.C.Yadawa	9838793343
4			Mangaraura (Kohdaur)	Bolero	UP-72-AT-0952	UP/70/102/AITP/2017/994	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Afshar Ali	9792646161	Dr. Bharat Pathak	9450590131
5			Sangipur	Bolero	UP-65-DT-5501	UP/65/102/AITP/2015/1899	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Sarita Devi	8577011000	Dr. Abhishek Singh	7839847856
6			Babaganj	Bolero	UP-72-AT-0551	CC/STA/UP/2016/06033	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Ajay Kumar Singh	9919669520	Dr.Vivek Yadawa	9455484730
7			Sandwa Chandrika	Bolero	UP-72-AQ-5560	CC/STA/UP/2017/02892	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Satish Chandra Tiwari	7309581008	Dr.Manish Maurya	9936900554
8			Raniganj	Bolero	UP-72-AQ-2727	UP/70/102/MCAB/2017/1501	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Santosh Kumar	9455809337	Dr.C.P.Sharma	9451774764
9			Sukhpal Nagar	Bolero	UP-72-T-9948	UP/70/102/AITP/2016/793	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Bhagwati Prasad Singh	9451202982	Dr.Manoj Kanaujia	8765339498
10			Mandhata	TUV	UP-72-AT-1331	UP/70/102/MCAB/2017/1508	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Ashish Kumar Singh	9415302555	Dr. Sandeep Sexena	9169345546
11			Kalakakar (Kusuapur)	Bolero	UP-72-AT-1203	UP/70/102/AITP/2017/1064	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Sandeep Kumar Yadaw	9838642233	Dr.Sunil Yadawa	8400048188
12			Belkhar Nath	Bolero	UP-72-T-7362	CC/STA/UP/2014/04028	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Durg Vijay Singh	9453296133	Dr.Neeraj Yadawa	9956115177
13			Lalganj	Bolero	UP-72-T-8504	CC/STA/UP/2015/01990	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Rajesh Kumar Mishra	9455916372	Dr. Arvind Gupta	9897337418
14			Rampur Sangramgarh	Bolero	UP-33-AT-6410	UP/32/AITP/2017/1985	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Awanish Sharma	9415367333	Dr.Manoj Singh	9455033307
15			Patti	Bolero	UP-72-AT-0841	UP/70/102/AITP/2017/969	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Shani Kumar	9792692195	Dr. Mahendra Kumar	9412010191
16			Bihar(Bagh Rai)	Maruti Ertiga	UP-72-T-9884	UP/70/102/AITP/2016/786	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Raj Bahadur	9452662065	Dr.Haldar	9621201802
17			Gaura	Bolero	UP-70-DB-1531	UP/70/102/MCAB/2016/1418	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Ramakant Duvedi	9918439708	Dr.O.P.Singh	9721874041
18			District HQ.	Maruti Ertiga	UP-72-AT-0048	UP/70/102/MCAB/2016/1423	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Sri Ashish Kumar Singh	9415302555	Dr. R.K.Naiyar	9415012481
19			District HQ.	Bolero	UP-72-T-9161	UP/70/102/AITP/2015/721	10.07.2017	31.03.2018	1077.00/Per Day	Smt. Nagina Devi	9415628231	Dr. R.K.Naiyar	

नोटः– दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 09.10.2017 तक वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुबंधित टैक्सी वाहनों का संचालन रू. 1120.00 प्रति दिन किराये पर किया गया है।

अनुज श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक

डॉ0 आर0 के0 नैय्यर
Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Pratapgarh

10- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था, द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

13- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

14- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान PBH

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

Attested

NOTARY
Kiran Bala Singh
H.O. Pratapgarh
R.N. 23/08/99
U.P. GOVERNMENT

दिनांक:- 27-6-16

27/6/16

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

भावना मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB 2016

CT 095119

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वा0 मिशन विशाल काम्पलेक्स 19-ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ के पत्र सं0-एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./ लेखा/2014-15/103(4)/11114-75-10 दिनांक 03.03.2016 के सम्पादित निविदा के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ़ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता भगवती प्रसाद सिंह S/o श्री पारसनाथ सिंह नि. ग्राम महादेव तह. लालगंज जनपद प्रतापगढ़ .... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा आज दिनांक 27.06.16 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.03.2017 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ़ के विकास खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिए निम्न शर्तो को पूरा करेगा:-

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन U.P72T 9948 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1120 ...... किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।

क- वाहन का पंजीकरण टैक्सी में हैं।

ख- वाहन में प्रथम उपचारकिट हो।

ग- वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।

घ- वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ड.- दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

NOTARY Kiran Bala Singh H.O.-Pratapgarh R.N.27308/99 U.P. GOVERNMENT

27.6.2016

.....................2

(1)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803251

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता [illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] CHC में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा– [illegible]

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन U.P.-72-A.H. 2077[illegible] को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1077/- प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। [illegible] 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

7-7-2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 803243

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। भियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथग पंक्षकार को रू0.....500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....18000/-.... की धरोहर राशि.......18000/-....... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

7-7-2017

वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने / जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0 / एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय / मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U. P. GOVERNMENT

स्थान 7-7-2017

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

नीरज कुमार यादव
प्रा0 अधिकारी, पट्टीवार्ड
प्रतापगढ

मो0 9565086332

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOTARIAL NOTARIAL

BG 764751

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता.................... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ....10.7.17.... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.7.18... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड.................... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन....UP-72-AT-0551.... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ....1077/-.... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

7.7.17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764744

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0.....500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....18000/- की धरोहर राशि.....18000/-........ को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

7-7-17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY
Kiran Bala Singh
Pratapgarh
U.P. GOVERNMENT

स्थान
7-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

अजय कुमार सिंह
पी0 ग0 कुण्डा प्रतापगढ़

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रू 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 424313

NOTARIAL NOTARIAL

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता राजबहादुर S/o उमेशचन्द .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 15-07-2017 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31-03-18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड .... CHC में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP-72-T 8884 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1077/00 .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala Singh H.O. Pratapgarh R.N.-23/8/99 U.P. GOVERNMENT 15-7-2017

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0.....500/-............ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0..18000/-....... की धरोहर राशि.....18000/-....... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY
Kiran Bala Singh
U. P. GOVERNMENT
15-7-17

वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY Kiran Bala Singh H.Q.-Pratapgarh R.N.-23/03/99 U.P. GOVERNMENT

स्थान 15-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

राजबहादुर UP72T9884

Mo. 9452662065

ग्राम व पोस्ट- कुहुकापुर

प्रतापगढ़

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 803239

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र
संo–एसoपीoएमoयूo / एनoआरoएचoएमo / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र
संo–एसoपीoएमoयूo / आरoबीoएसoकेo / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार
वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष
वाहन सेवा प्रदाता .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक .... को जनपद में संचालित
किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख .... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास
खण्ड .... CHC .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न
शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72-T-7362 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आरoटीoओo कर्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8-7-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803234

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। भियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम मक्षकार को रू0.....500/-..... प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....18000/-..... की धरोहर राशि.....18000/-..... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

8-7-17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Kiran Bala Singh
H.Q.-Pratapgarh
R.N.-23/30/99
U.P. GOVERNMENT

स्थान

8-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

दुर्ग विजय सिंह
...गोटी, मधुपुर, प्रतापगढ़
मो0 नं0 – 9453296133
गाड़ी नं0 – UP-72T 7362

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764767

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता आशीष कुमार S/o शिवकुमार [illegible] .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ......10.7.17...... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड सदर, [illegible] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करेगा– प्रतापगढ़

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन ...UP-72-AT-0048 (अधिकतम)...... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ....1077/-........ प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

8-7-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764765

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0......500/-.............. प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0....18000/-.... की धरोहर राशि.....18000/-.......... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8.7.17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष की करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY ★ U. P. GOVERNMENT

स्थान

8-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

आशीष कुमार सिंह
पूरेहर बहादुरपुर, प्रतापगढ़
मो० 9415302555
गाड़ी रजि० - UP72AT0048

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764760

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ़ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता नगीना देवी w/o रामकैलाश शर्मा [illegible] प्रतापगढ़ द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाईटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड सदर [illegible] प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगी–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन U.P-72 T 9161 ([illegible]) को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8.7.20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 764761

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0......500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0......18000/-की धरोहर राशि......18000/-........... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY Kiran Bala Singh Pratapgarh U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

नगीना देवी

गाड़ी नं - UP 72 T 9161
पता - पूर्वी सहोदरपुर कोतवाली नगर सदर प्रतापगढ़ उ0प्र0 230001
मो0 9415628231

(7)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764762

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता [illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 21.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] CHC में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP-72 AR 2727 (9[illegible]) को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। [illegible] 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764763

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0......500/-.............. प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....10000/-... की धरोहर राशि......10000/-......... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U.P. GOVERNMENT

8-7-2017

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष की करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर०बी०एस०के०/एन०एच०एम० का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY
Kirpa Bala Singh
H.Q.-Pratapgarh
R.N.-23708/96
U.P. GOVERNMENT
8-7-2017

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

UP-72AQ2727
Mb: 9455809337

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764733

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एसपी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एसपी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता [illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.07.2017 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72 AT-0952 को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1077/00 प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। (अधिकतम 25 [illegible])
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड़– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

7-7-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803255

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 500/-............ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 18000/-... की धरोहर राशि 18000/-.......... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोड़ने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala H.O. U.P. GOVERNMENT

7-7-17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Kiran Bala Singh
U.P. GOVERNMENT

स्थान

7-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

नाम - अफसर अली
पता ग्रा0 - सरौली पो0 कटरी
प्रतापगढ़
गाड़ी नं0 UP72AT 0952
मो0 9792646161

(१)

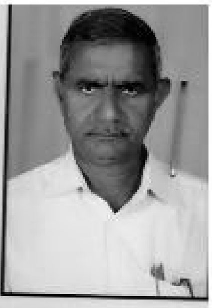

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

UTTAR PRADESH

BG 764757

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार
वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष
वाहन सेवा प्रदाता [handwritten, illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 1.07.17 [handwritten] को जनपद में संचालित
किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.03.2018 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास
खण्ड [handwritten] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न
शर्तों को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72 AT 1339 (SUV) .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1017/- .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। (अधिकतम 25 कार्य दिवस हेतु)
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   - क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   - ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   - ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   - घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764738

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0 500/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 18000/- की धरोहर राशि 18000/- को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोड़ने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY ... U. P. (INDIA)

7-7-17

वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष का करना होगा। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY
U. P. GOVERNMENT

स्थान

2-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

रामराज शुक्ला

तिलौरी, कुण्डा, प्रतापगढ़

UP 72 AT 1339

(10)

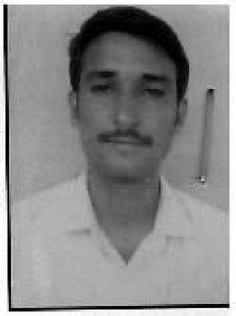

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 764728

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10341–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता संदीप कुमार यादव S/ रामआसरे यादव द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक 10.07.2017 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.03.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड .... PHC में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72 AT 1203 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/00 .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। (अधिकतम 25 कार्य दिवस हेतु)
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY UP GOVERNMENT

7.7.17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764727

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 500/00 .... प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 18000/00 ... की धरोहर राशि 18000/00 .... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडने के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY

7-7-17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

7-7-17

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

सन्दीप कुमार यादव
ग्राम - गोबरा (लाल) कुण्डा प्रतापगढ़
UP72AT-1203

9838642233
8858516091

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803247

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र
सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार
वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष
वाहन सेवा प्रदाता रमाकान्त द्विवेदी S/o प्रसिद्ध नारायण .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य
चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ....10.7.17.... को जनपद में संचालित
किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18.... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास
खण्ड [illegible]........ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न
शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन..... UP-70-DB-1531 ([illegible])..... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया .....1077/-..... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

[signature]

7-7-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये
रु.50

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

FIFTY RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803246

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0....500/-.... प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0....18000/-.... की धरोहर राशि....18000/-.... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY
U.P. GOVERNMENT

7-7-17

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही कियां जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 ......500/-..... प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY
Kiran Bala Singh
H.Q. Pratapgarh
R.N. 23/08/99
U.P. GOVERNMENT

स्थान

7-7-17

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

रमा कान्त द्विवेदी
रामपुर गौरा, प्रतापगढ़

मो० नं० - 9918439708

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये 50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764749

[…]िशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र […]0–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र […]0–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता [illegible] .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ....[illegible].... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करेगा–[illegible]

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन.... UP72- AK-9415 ([illegible]) को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ....1077/-........ प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। [illegible] 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764746

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख--रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0.....500/-............ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....18000/-... की धरोहर राशि....18000/-............... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

...टूट–फूट को तत्काल सुधार की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर ज़िला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

राजेन्द्र कुमार यादव
मि0 [illegible] प्रतापगढ़
सिटी, प्रतापगढ़
9838529462

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू 50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 674199

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता राजेश कुमार मिश्र [illegible] द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइडी द्वारा आज दिनॉक 10-07-2017 की जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31-03-18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रांमीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72T-8504 (बुलेरो) को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1077/00 प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। (अधिकतम 25 कार्य दिवस तक)
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   गं– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ड– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764768

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0 5000/-............ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 18000/- की धरोहर राशि 18000/-.......... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेंगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

...न की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगा। बडा टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

7/2/17

स्थान

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

(राजेश कुमार मिश्रा)
ग्राम-दूरगोपाली (कटरा...)
बेल्हा प्रता०
UP72 T-8504
9455916372

(17)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764730

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/1/2017–18/1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता [illegible]........ द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आज दिनॉक ....10.7.17.... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड ....UPHC CHC Patti.... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तो को पूरा करेगा–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन....UP-72 AT 0841.... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया ....1077/2.... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 803259

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0.....500/-......... प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0.....10000/-.....की धरोहर राशि.........10000/-...... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोडनें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Kiran Bala Singh
M.O.-Pratapgarh
U.P. GOVERNMENT

7-7-17

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
[redacted]

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

UT 72 AT 0841

mo: 9792692195

(15)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764766

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए विधानसभा मार्ग लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनॉक 17.03.2017 एवं पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / आर0बी0एस0के0 / 1 / 2017–18 / 1139–75 दिनॉक 17.05.2017 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पादित निविदा के कम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता आशीष कुमार S/o शिवकुमार .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी,सदस्य स्वास्थ्य सोसाईटी द्वारा आज दिनॉक 10.7.17 को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.18 तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ के विकास खण्ड .... में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिये निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष अनुमोदित वाहन UP72 AT 1331(TUV) .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रुपया 1077/- .... प्रतिदिन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 25 दिन
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।
   क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।
   ख– वाहन में प्रथम उपचार किट हो।
   ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।
   घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   ङ– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराने पर सही नही पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।

वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala Singh H.C. Pratapgarh U.P. GOVERNMENT

8-7-17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 764764

5. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पंक्षकार को रू0......500/-........ प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0...18000/-... की धरोहर राशि.....18000/-.......... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नही करें,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की रशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आंवाटित इकाई पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोड़नें के लिये प्रतिमाह शपथ पत्र के बिन्दु एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पॉच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY U. P. GOVERNMENT

11. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था,द्वितीय पक्ष की करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
12. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है और स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर रशि की जब्त की जा सकती है।
16. वाहनों पर आर0बी0एस0के0/एन0एच0एम0 का लोगो अवश्य चिपकाया जायेगा।
17. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नही कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
18. वहनों के टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये वाहन नही उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नही किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू0 500/- प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
19. वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
20. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आर0बी0एस0के0 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अर्न्तगत वाहन को कम से कम 1000 किमी0 चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
22. भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों के साथ लाग बुक की सत्यापित कापी(मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

NOTARY — U. P. GOVERNMENT

स्थान

10-7-2017

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

आशीष कुमार सिंह
पूर्वी महोदरपुर, प्रतापगढ़
9415302555
वाहनसं0- UP72 AT 1331

3- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टी कराने पर सही नहीं पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।

4- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

5- वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300/-प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0- ...15000/-..... की धरोहर राशि F.D./NSC...... को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पख का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें, ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रात: 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभार्थियों को घर छोड़ने के लिए प्रतिमाह शपथ-पत्र के बिन्दु-एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala Singh H.O.-Pratapgarh R.N.-23/08/99 U.P. GOVERNMENT

25.6.16

.........3

10- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था, द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

13- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

14- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

दिनाँक:-

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

प्रेम शंकर

NOTARY
Kiran Bala Singh
H.O.-Pratapgarh
R.N.-2308/99
U.P. GOVERNMENT

25.6.16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY Kiran Bala Singh H.O. Pratapgarh NOTARIAL R.N.-2308/99 U.P. GOVERNMENT

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 375187

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वा0 मिशन विशाल काम्पलेक्स 19–ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ के पत्र सं0–एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./ लेखा/2014–15/103(4)/11114–75–10 दिनांक 03.03.2016 के सम्पादित निविदा के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद प्रतापगढ़ .... प्रथम पक्ष वाहन सेवा प्रदाता नीरज कुमार S/o जगन्नाथ यादव नि० पुरानी आबकारी तह० सदर जनपद प्रतापगढ़ .... द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा आज दिनांक 27.6.16...... को जनपद में संचालित किया गया है। इस अनुबन्ध की तारीख 31.3.17...... तक रहेगी। द्वितीय पक्षकार जिला प्रतापगढ़ के विकास खण्ड [illegible] में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु वाहनों को संचालित करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करेगा:–

1. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन U.P. 72 AH 2077 .... को एक माह के कार्य दिवस में प्रतिदिन रूपया 1120/-...... किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनवार्यतः उपलब्ध है।

क– वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है।

ख– वाहन में प्रथम उपचारकिट हो।

ग– वाहन अनुबन्ध की तिथि के पूर्व का ही पंजीकृत हो।

घ– वाहन में पेट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ड.– दुर्घटना होने व वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

NOTARY Kiran Bala Singh H.O. Pratapgarh R.N.-2308/99 U.P. GOVERNMENT

27-6-2016

....................2

3- वाहन का पूर्ण बीमा पंजीयन व फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना चाहिए। वाहन टैक्सी परमिट में होना है। यदि टैक्सी परमिट को आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टी कराने पर सही नहीं पाया जाता है तो वाहन का अनुबन्ध समाप्त करते हुए उपरोक्त धरोहर राशि जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाये।

4- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

5- वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0- 300/-प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0- ....15,000/-.. की धरोहर राशि ..F.D./...NSC.. को किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

7- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

8- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पख का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नशें की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें, ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रात: 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं लाभर्थियों को घर छोड़ने के लिए प्रतिमाह शपथ-पत्र के बिन्दु-एक के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

NOTARY Kiran Bala Singh H.O. R.N. U.P. GOVERNMENT

27.6.2016

.........3

10- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह के पाँच तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था, द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

13- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

14- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
चिकित्साधिकारी

दिनाँक:-

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
नीरज कुमार यादव
मो० नं० 9565086332

NOTARY
Kiran Bala Singh
H.O.-Pratapgarh
R.N.-23.08.99
U.P. GOVERNMENT

27-6-2016

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,प्रतापगढ़।

पत्रांकः एन.एच.एम./सपो.सु.वाहन/2016–17/1234-17 दिनांकः 31.03.2017

कार्यालय ज्ञाप

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई लखनऊ के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनांक 17.03.2017 के कम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संचालित एन.एच.एम की महत्वपूर्ण गतिबिधियॉ वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी अनवरत जारी रहेंगी। उक्त के कम में कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद स्तर तथा ब्लाक चिकित्सा इकाइयों पर सपोर्टिव सुपरविजन हेतु दिनांक 31.03.2017 तक के लिए अनुबंधित निम्न लिखित टैक्सी वाहनों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम निविदा सम्पादित होने की तिथि तक लिए पूर्व में सम्पादित अनुबंध की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत (वाहन किराया रू.1120.00 प्रतिदिन समस्त व्यय सहित) अनवरत कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Tender Rate Aproved	Name of Agency /Vehicle's owner
Kunda	Bolero	UP-70- CS 2737	UP/70/102/AIPP/2015/524	Rs.1120/Day	SriRaj Dhar Mishra
Laxmanpur	Bolero	UP-72-T-5193	UP/70/102/AIPP/2014/256	Rs.1120/Day	Smt. Bhawana Mishra
Asapur Deosara (Amargarh)	Bolero	UP-72-AH-2077	UP/70/102/MCAB/2015/1298	Rs.1120/Day	Sri Neeraj Kumar Yadawa
Mangaraura (Kohdaur)	Bolero	UP-72-T-5728	UP/70/102/MAXI/2013/108	Rs.1120/Day	Sri Afashar Ali
Sangipur	Bolero	UP-72-AD-2037	UP/70/102/MCAB/2014/1129	Rs.1120/Day	Sri Aslam Khan
Babaganj	Bolero	UP-72-Z-7978	UP/70/102/MAXI/2014/215	Rs.1120/Day	Sri Amar Nath Pandey
Sandwa Chandrika	Bolero	UP-72-AM-4601	UP/70/102/Maxi/2016/260	Rs.1120/Day	Sri Dinesh Kumar Yadawa
Raniganj	Bolero	UP-70-DT-9703	CC/STA/UP/2014/08152	Rs.1120/Day	Sri Keshari Nandan Dube
Sukhpal Nagar	Bolero	UP-72-T-7362	CC/STA/UP/2014/04028	Rs.1120/Day	Sri Durg Vijay Singh
Mandhata	Bolero	UP-72-T-9719	CC/STA/UP/2016/01375	Rs.1120/Day	Sri Rajesh Kumar Mishra
Kalakakar (Kusuapur)	Maruti Artiga	UP-72-T-9884	UP/70/102/AITP/2016/786	Rs.1120/Day	Sri Raj Bahadur
Belkhar Nath	Bolero	UP-72-AB-6192	UP/70/102/MAXI/2015/291	Rs.1120/Day	Sri Shiv Pratap Singh
Lalganj	Bolero	UP-72-T-7455	UP/70/102/MCAB/2014/1156	Rs.1120/Day	Sri Prem Shankar
Rampur Sangramgarh	Bolero	UP-72-T-5997	UP/70/102/MCAB/2015/1405	Rs.1120/Day	Sri Virendra Kumar Dubedi
Patti	Bolero	UP-72-T-9995	UP/70/102/MCAB/2016/1420	Rs.1120/Day	Sri Pawan Kumar

...r(Bagh Rai)	Bolero	UP-72-T-9948	UP/70/102/AITP/2016/793	Rs.1120/Day	Sri Bhawati Prasad Singh
Gāura	Bolero	UP-70-DB-1531	UP/70/102/MCAB/2016/1418	Rs.1120/Day	Sri Ramakant Dubedi
District HQ.	Maruti Artiga	UP-72-AT-0048	UP/70/102/MCAB/2016/1423	Rs.1120/Day	Sri Ashish Kumar Singh
District HQ.	Bolero	UP-72-T-9161	UP/70/102/AITPB/2015/721	Rs.1120/Day	Smt. Nagina Devi

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़।

पृ.सं:उक्त/1235 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षक,प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु./प्रा.स्वा.केन्द्र जनपद प्रतापगढ़ को इस आसय के साथ उक्त आदेश की प्रति अपने व्लाक से सम्बन्धित वाहन सेवा प्रदाताओं को उलब्ध कराकर सपोर्टिव सुपरविजन की वाहन को पूर्ववत संचालित कराते रहें।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़।